नगरीय विकास विभाग

परिपत्र क्रमांक : प. 5 (3) नविवि/3/99 दिनांक : 6 सितम्बर, 2007

विषय : कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कॉलोनीयों के नियमन हेतु सामान्य पैरामीटर्स में शिथिलन बाबत।

जयपुर शहर एवं राज्य में अन्य नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों को नियमित किए जाने की दृष्टि से राज्य विधियां संशोधन अधिनियम-1999 पारित किया जाकर भू-राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में संशोधन किये गये। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 17.06.1999 को किए गए संशोधन के उपरान्त इस विभाग द्वारा दिनांक 10.07.1999 व इसके पश्चात् नियमन प्रक्रिया के तहत विभिन्न आदेश/परिपत्र जारी किए गए। दिनांक 17.06.1999 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में किए गए संशोधन तथा उसके पश्चात् नियमन हेतु जारी विभिन्न आदेश/परिपत्र के बावजूद पूर्व की सृजित बहुत-सी कॉलोनियाँ निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं होने के कारण उनका नियमन नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त वर्णित समस्या के कारण जविप्रा क्षेत्र में तथा सम्पूर्ण राज्य के अन्य स्थानीय निकाय क्षेत्रों में काफी कॉलोनियों के नियमन का कार्य अवरुद्ध है। चूंकि उक्त कॉलोनियाँ मौके पर काफी लम्बे समय से आबाद हैं, ऐसी स्थिति में व्यवहारिक रूप से इन्हें मौके पर से हटाये जाने की बजाय मापदण्डों में उचित सीमा तक शिथिलता प्रदान कर नियमन किया जाना उचित होगा, ताकि इनके नियमन से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके तथा आवासीयों [illegible]।